न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-331/2026

आकाश राय एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

[सिसवन थाना कांड संख्या 431/2025]

आदेश

10.03.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. आकाश राय, 2. नीरज राय एवं 3. मूर्त्ति देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 331/2026, सिसवन थाना कांड संख्या 431/2025, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री भीष्म कुमार राय एवं विपक्षी विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 17.12.2025 को समय करीब 9 बजे दिन में सूचिका के दरवाजे पर आकर नीरज राय, आकाश राय एवं मूर्त्ति देवी एक जुट होकर गाली–गलौज करने लगे एवं मना करने पर सूचिका के बहन, बेटा अपु कुमार को तीनों लोग घेरकर मारने लगे। बीच बचाव करने सूचिका गई तो जान लेने की नियत से नीरज कुमार ने सूचिका के सर पर रड से मार दिया। जिससे सूचिका का सिर फट गया और खून बहने लगा तो सभी छोड़कर भाग गए।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सूचिका बालकिशोरी कुंवर के द्वारा लिखित फर्दबयान के आधार पर यह मामला पंजीकृत कराया गया है और आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से एक मामला सिसवन थाना कांड संख्या 164/2020 के तहत पंजीकृत है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा आवेदकगण को इस मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है और प्रस्तुत मामले से बचने के लिए मूर्त्ति देवी के द्वारा कम्पलेन नं0 1991/2025 पंजीकृत कराया गया है। इस मामले में लागू धारा 118(1) एवं 109 भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय है। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिसवन थाना कांड संख्या 431/2025, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 22 जख्मियों के जख्म

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-331/2026

आकाश राय एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

[सिसवन थाना कांड संख्या 431/2025]

प्रतिवेदन से संबंधित है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 42 के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ इस मामले के अलावे अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है जबकि जमानत आवेदन के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से भी एक मामला पंजीकृत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध एवं कारित जख्म की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. आकाश राय, 2. नीरज राय एवं 3. मूर्त्ति देवी** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,

सिवान

दिनांक 10.03.2026